

राष्ट्रीय राजस्व लोक अदालत बैच सं 2  
(न्यायालय - अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायसिंहनगर,  
जिला श्रीगंगानगर)


महेन्द्र सिंह बनाम बलविन्द्र सिंह आदि  
वाद सं 273/21 जीसीएमएस आईडी 2021/949  
दावा अन्तर्गत धारा 53,92ए,209 आरटीएक्ट

12.03.2022

माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, (माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय), श्रीगंगानगर द्वारा आदेश क्रमांक/स्था/ने.लो.अ./2022/21 दिनांक 10.03.2022 के द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत (राजस्व न्यायालयों) हेतु गठित की गई बैच सं. 2 के समक्ष न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर द्वारा प्रकरण लोक अदालत में रैफर किए जाने के परिणामस्वरूप आज यह पत्रावली लोक अदालत बैच के समक्ष पेश हुई। प्रकरण में वादी के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रकरण में पक्षकारान के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है, और अदालत की भावना से प्रेरित होकर निस्तारण करवाना चाहते हैं। प्रकरण चलाना नहीं चाहते हैं। वकील वादी वाद पत्र नोट-प्रेस कर प्रकरण का इसी स्तर पर निस्तारण करने हेतु निवेदन किया। चूंकि प्रकरण में पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो चुका है। अतः वकील वादी को वाद पत्र नोट प्रेस करने की अनुमति दी जाती है।

अतः वाद पत्र वादीगण वकील वादी द्वारा नोट-प्रेस करने के आधार पर इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैंसल में शुमार होकर वाद तकमिल दाखिल दफ्तर हो।

  
सदस्य  
राष्ट्रीय लोक अदालत बैच  
रायसिंहनगर

  
12/3/22  
अध्यक्ष  
राष्ट्रीय लोक अदालत बैच  
रायसिंहनगर

Hot Press  
JK